माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या. (0755) 2551650, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 586 /डी.एड.सेल/2014 भोपाल, दिनांक 22/ 02/2014

//आदेश//

डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु संबद्धता संबंधी निर्देश

डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. परीक्षाओ का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.भोपाल के द्वारा किया जाता है। परीक्षा निकाय की हैसियत से माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. संस्थाओं को सम्वद्धता जारी करता है। उक्त संबंध में रिट पिटिशन (सिविल) क्र.–276/12 (माँ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में एन.सी.टी.ई., राज्य शासन एवं संबंधित परीक्षा निकायों को मान्यता एवं संबद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश एवं तिथिवार कार्यक्रम घोषित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्तानुसार उल्लेखनीय आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के नवीन संबद्धता एवं संबद्धता के नवीनीकरण संबंधी प्रकरणों हेतु निम्नानुसार स्थाई निर्देश पूर्व जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये जारी किये जाते हैं।

1. मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा डी.एड. एवं पी.पी.टी.सी. पाठ्यक्रमों के संबंध में संबद्धता प्रदान किये जाने विषयक नये निर्देश आगामी सत्र 2014–15 से लागू माने जावेंगे। मा.शि. मण्डल द्वारा जारी किये गये इन निर्देशों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार सक्षम स्वीकृति उपरान्त संशोधन किया जा सकेगा।
2. डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु प्रथम बार नवीन संबद्धता प्रदान करने अथवा पूर्व से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं की संबद्धता समाप्त करने के लिये अध्यक्ष, मा.शि.मण्डल सक्षम प्राधिकारी होंगे। पूर्व से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं की संबद्धता के नवीनीकरण के लिये मण्डल के सचिव सक्षम होंगे।
3. मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल से संबद्धता प्राप्त करने हेतु संस्थाओं को मण्डल द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर संस्था के अध्यक्ष/सचिव के द्वारा प्रस्तुत करने पर ही मान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत जारी किये गये मान्यता आदेश की मूलप्रति (हार्ड कॉपी) की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाना आवश्यक होगा। उपरोक्त के अभाव में प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही अमान्य किया जा सकेगा।
4. आवेदक संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. द्वारा एन.सी.टी.ई. एक्ट 1993 की धारा 7(11) के तहत जारी किये गये मान्यता आदेशों की संलग्न छायाप्रति का मिलान एन.सी.टी.ई. द्वारा मा.शि.मण्डल, म.प्र. भोपाल को अध्यक्ष/सचिव, मा.शि.मण्डल, म.प्र., भोपाल के नाम से प्रेषित पृष्ठांकित अधिकृत प्रति से किया जाने के उपरान्त तथा एन.सी.टी.ई. से तत्संबंधी पुष्टि कराने के उपरान्त ही संबंधित संस्थाओं के प्रकरणों पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।